193

सख्या:288 / XII / 2012 / 83(06) / 2011

प्रेषक,

किशन नाथ,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायतीराज एवं ग्रा0अभि0 से0 अनु0–2 देहरादून दिनांकः: 30 मार्च,2013

विषय– अधिष्ठान की विभिन्न मानक मदों में वर्ष 2012–13 हेतु आबंटित बजट के सापेक्ष बचत से पुनर्विनियोग के प्रस्ताव का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–2114 / ग्रा0अ0से0 / लेखा–दो–01 / 30–बजट / 2012–13 दिनांक 06 मार्च, 2013 के क्रम में शासनादेश संख्याः 204 / XII / 2011 / 83(04) / 2010–TC–1 दिनांक 12–4–2012, शासनादेश संख्या 283 / XII / 2012 / 83(10) / 2011 दिनांक 25–5–2012 एवं 244 / XII / 2013 / 83(02) / 2012 दिनांक 21–3–2013 द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 के आयोजनेत्तर पक्ष में संलग्न बी0एम0–15 के स्तम्भ–1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक की मानक मदों में आपके निवर्तन पर उक्त शासनादेश द्वारा रखी गयी धनराशि के सापेक्ष स्तम्भ–4 की अवशेष सरप्लस धनराशि को स्तम्भ–5 में उल्लिखित उसी लेखाशीर्षक की मानक मद 14 स्टाफ कार / मोटर गाडियों का क्रय की मद मे पुनर्विनियोग के माध्यम से कुल ₹ 1265 हजार (₹ बारह लाख पैंसठ हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः–

2. उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

3. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययिता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नयी मदों में कदापि नही किया जाएगा। धनराशि उन्हीं मदों में व्यय की जाएगी, जिनके लिए स्वीकृत की जा रही है।

4. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों एवं बजट मैनुअल व शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. उपरोक्तानुसार आबंटित धनराशि किसी अन्य मद में व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाएगा।

6. उक्त धनराशि के व्यय के समय नियमानुसार उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन कड़ाई से किया जाय।

7. उक्त धनराशि का उपयोग कर नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र तथा मदवार व्यय विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित प्रश्नगत धनराशि का उपयोग दिनांक 31–3–2013 तक सुनिश्चित करें तथा तत्सम्बन्धी अवशेष अवमुक्त धनराशि को तत्काल समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें।

8. अप्रयुक्त धनराशि का बजट मैनुअल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

क्रमश.....2..

9. प्रश्नराशि से केवल प्रतिस्थापन के सापेक्ष ही शासनादेश 17–01–2013 के अनुसार अनुमन्य वाहन ही क्रय किया जायेगा।

10. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–19 के आयोजनेत्तर पक्ष के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–03 ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा की मानक मद 14 स्टाफ कार/मोटर गाडियों का क्रय के नामे डाला जायेगा तथा बी0एम0–15 के कॉलम 1 की मानक मद धनराशि से बहन किया जायेगा।

11. यह आदेश वित्त विभाग के अ0 शा0 संख्या–70(NP)/XXVII(4)/2013 दिनांक 30 मार्च 2013 के अधीन साफ्टवेयर से केन्द्रीय स्तर पर एक विशिष्ट नम्बर S1303190854 से जनरेट कर जारी किए जा रहे हैं। विभागाध्यक्ष स्तर से भी सभी आहरण वितरण अधिकारियों को बजट का आवंटन साफ्टवेयर के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(किशन नाथ)
अपर सचिव।

संख्याः 288(1)/XII/2012/83(06)/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) कार्यालय महालेखाकार, वैभव पैलेस, सी–1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून।
2– महालेखाकार, (ए एण्ड ई), ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर, रोड़, माजरा, देहरादून।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, दहेरादून।
4– जिलाधिकारी, देहरादून।
5– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
6– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड देहरादून।
7– निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
8– वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन।
9– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(किशन नाथ)
अपर सचिव

आय–व्ययक प्रपत्र–15

विभाग का नामः– ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग उत्तराखण्ड

(पैरा–156)

प्रशासकीय विभाग– मुख्य अभियन्ता ग्रा0 अभि0 से0 उत्तराखण्ड

(धनराशि हजार रूपये में)

आयोजनेत्तर

बजट प्रावधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय (6.3.13) वास्तविक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशेश धनराशि	औचित्य
1	2	3	4	5	6	7	8
अनुदान संख्या–19 2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम –आयोजनेत्तर 800–अन्य व्यय 03–ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा				**अनुदान संख्या–19** 2515– अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रंम–आयोजनेत्तर 800– अन्य व्यय 03– ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा			(क) –बचत– विभाग की वास्तविक आवश्यकतानुसार इन मदों में बचत है। (ख) पुनर्विनियोग – अग्रसारण पत्र में दिये गये औचित्य के अनुसार 14–स्टाफ कार/मोटर गाडियों के क्रय मद में धनराशि की नितान्त आवश्यकता है, जिसके सापेक्ष 16–वयवसायिक मद की बचत से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव है।
16–व्यवसायिक मद–6500	2387	2848	1265	14– स्टाफ कार/मोटर गाडियों का क्रय– 1265	14–स्टाफकार/ मोटर गाडियों का क्रय– 1266	16 व्यवसायिक मद–5235	
योग–6500	**2387**	**2848**	**1265**	**1265**	**1266**	**5235**	

प्रमाणित किया जाना है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनीअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लधन नही होता है।

(किशन नाथ)
अपर सचिव।

(सं० जन्त्री)
(उप सचिव)